सम्पादकीय

सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन, राजस्थान का छठवां न्यूज लेटर आपके हाथों में है। यह न्यूज लैटर ऐसे समय में प्रकाशित हो रहा है जब राज्य के शहरी निकायों मे ई–गवर्नेन्स के कार्य को गति से किया जाना प्रारम्भ हो गया है। संभागीय मुख्यालयों के नगर निकायों के लिये ई–गवेर्नेन्स व्यवस्था लागू किये जाने का कार्य RUIDP द्वारा करवाया जा रहा है। इन व्यवस्थाओं को सम्मिलित करते हुए प्रथम चरण में 32 शहरों में क्षेत्रीय उपनिदेशक कार्यालयों एवं निदेशक स्थानीय निकाय जयपुर द्वारा ई–मित्र योजना आरंभ की गयी है। द्वितीय चरण में यह योजना अन्य निकायों में लागू की जायेगी।

इसके अलावा राज्य में विरासत सरंक्षण के लिये 28 शहरों में कार्य करवाये जा रहे हैं। जिसके लिये 10.00 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है। विरासत संरक्षण के कार्य में शहरों की ऐतिहासिक इमारतों एवं पुरातात्विक महत्व के स्थलों का संवर्धन कार्य करवाये जा रहे हैं। इससे राज्य में पर्यटन उद्योग को बढावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने शहर की चारदीवारी व आमेर किले को देखा

माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा है कि जयपुर शहर की समृद्ध एवं गौरवशाली विरासत को संजोए रखने इसके प्राचीन वैभव को संरक्षित रखने के लिए एवं पर्यटन प्रबन्धन पर्यटन सुविधाओं के लिए करने विशेष प्रयास किए जायेंगे।

जयपुर शहर के सौन्दर्यकरण एवं ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण की योजना के तहत किए गए कार्यों का प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती वसुन्धरा राजे ने 18 मार्च, 2005 को निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चारदीवारी के भीतर प्रमुख ऐतिहासिक भवनों के आस–पास व विभिन्न स्थानों पर अव्यवस्थित रूप से लगी हुई बिजली के तारों व केबल वायरों को हटाए जाने की जयपुर नगर निगम द्वारा की गई कार्यवाही का भी निरीक्षण किया। जयपुर नगर निगम द्वारा ऐतिहासिक विरासत संरक्षण योजना से आम नागरिकों एवं व्यापार मण्डलों को जोड़ने की पहल भी की गई है। योजना के तहत चारदीवारी के भीतर के बाजारों में गुलाबीकरण करवाया जायेगा। यह कार्य व्यापार मण्डलों के सहयोग से किया जायेगा। जौहरी बाजार व्यापार मण्डल ने इस कार्य में पहल की है।

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने इस अवसर पर जौहरी बाजार के व्यपारियों को डिवाईडरों को हरा–भरा बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सिरहड्योडी बाजार की ऐतिहासिक सुन्दरता

माननीय मुख्यमंत्री का दौरा

को पुनः लागू किया जाए। उन्होंने ऐतिहासिक भवन हवामहल को देखने के लिए आने वाले पयर्टकों के लिए एक प्लेटफॉर्म, ब्यू गैलेरी बनाने के निर्देश दिए। आमेर में जीर्णोद्धार के निरीक्षण के दौरान उन्होने कहा कि आमेर किले व इसके आस-पास के क्षेत्र का ऐतिहासिक विरासत के रूप में कायाकल्प किया जायेगा तथा आमेर महल व किले को उसकी ऐतिहासिक आभा के रूप में विकसित किया जायेगा। आमेर में उन्होंने आमेर महल में दीवाने-ए-आम, शीश महल, सुहाग महल, भूल-भुलैया, रसोईघर, हमामघर, केसर क्यारी आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होने आमेर कन्जरवेशन इनिशेएटिव-2005 के प्रस्तुतीकरण का अवलोकन भी किया।

उन्होंने कहा कि आमेर की गौरवशाली विरासत को संजोए रखने के लिए पर्यटन प्रबन्ध और आमेर कस्बे की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जायेगा तथा यहॉं पर विश्व स्तरीय पर्यटन सुविधाएं मुहैया कराई जायेंगी। उन्होंने हस्तशिल्प उत्पादों के व्यवस्थित प्रदर्शन पेयजल व्यवस्था, होटल व रेस्टोरेन्टस की सुविधा भी आमेर में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होने जलेब चौक भी देखा एवं वहॉं पर हाट बाजार बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बडी चौपड के खन्दों का सौन्दर्यकरण किया जायेगा तथा सुभाष चौक से आमेर तक के सडक पर स्थित पार्को का पुर्नोद्धार कर सौन्दर्यकरण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जयपुर के समृद्ध स्थापत्य एवं वास्तुशिल्प को अक्षुण बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जायेंगे। इस कार्य में राज्य सरकार व नगर निगम के प्रयासों के साथ ही शहर के व्यापार संघों एवं शहरवासियों का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा।

शहरी जन सहभागी योजना

राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर 2004 में एक अनूठी योजना शहरी जन सहभागी योजना का शुभारम्भ किया गया।

उद्देश्य

योजना प्रारम्भ करने का प्रमुख उद्देश्य योजना के तहत जनता की भागीदारी निर्धारित करना ताकि नागरिक शहरों के विकास में निकायों के साथ अपनी भागीदारी निभायें। योजना में राज्य सरकार के अंशदान के साथ शहरी निकायों का अंशदान एवं आम नागरिक भी योजना के अर्न्तगत अपनी आर्थिक सहयोग प्रदान कर शहरों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में अपनी भूमिका का उचित निर्वाह करें।

योजना का निर्धारण दो चरणों में किया गया है।

1. जन-चेतना 2. विकास कार्य

जन-चेतना

शहरों में सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं सौन्दर्यकरण के प्रति जन चेतना जागृत करने की दृष्टि से गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं राजकीय विभागों के द्वारा आपसी समन्वय व सहयोग में शहरी क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन किया जायेगा। इस संबंध में जन समुदाय में जागृति पैदा की जायेगी। इसके अलावा पोलियों उन्मूलन, साक्षरता पर्यावरण सुधार आदि में चेतना पैदा करके यह कार्य भी किये जायेंगे।

JMC in Association with ACORD is organizing a workshop **Future Search Workshop** since **12-14 may 05** to be held at **Hotel Clark, Jaipur.**. The Hon'ble CM will be present for all the three days in the workshop

शहरी जन सहभागी योजना

क्रियान्विति

शहरों में जन सहभागी योजना लागू करने के लिए वार्ड इकाई होगें। इसके लिए वार्ड विकास समितियां गठित की जायेंगी।

विकास कार्य करवाना

सभी शहरी नगर निकाय क्षेत्रों में आधारभूत ढ़ाचा सुदृढ़ करने के लिए आवश्यकतानुसार विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर करवाये जायेंगे।

योजना के अर्न्तगत राजकीय भवनों, राजकीय, चिकित्सालय पशु चिकित्सालयों भवनों का निर्माण एवं परिवर्धन, बालवाड़ी भवन पानी के हेतु पुलिया व सार्वजनिक वाचनालय, सामुदायिक केन्द्र भवनों, छात्रावास, सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय, उद्यान विकास, इत्यादि कार्य करवाये जायेंगे। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए इसमें अनेक विभागों का सहयोग लिया जायेगा।

योजना की विशेषता

योजना में अनेकानेक विशेषता है। इस योजना के अंतर्गत राजकीय कार्यो में जन-समुदाय की भागीदारी निर्धारित होगी। सडकों व गलियों का नियमित रख रखाव होगा। इसके अलावा लाइटों का रख रखाव किया जा सकेगा। साथ ही मोहल्लों व वार्डो को हरा भरा रखा जाने का प्रयास होगा। शहर के समूहों, विकास समितियों, वार्ड समितियों, दान दाताओं, संस्थाओं की योजना की क्रियान्विति में भागीदारी होगी।

योजना का वित्त प्रबधन

शहरी जन सहभागी योजना के अन्तर्गत कार्यो की कुल लागत का 50 प्रतिशत राज्यांश के रूप में प्राप्त होगा। 30 प्रतिशत जन-सहयोग से तथा 20 प्रतिशत राशि संबंधित नगर निकाय द्वारा व्यय की जायेगी।

क्रियान्वयन

विकास कार्यो का चयन आवश्यकता एवं प्राथमिकता के आधार पर संबंधित नगर निकाय करेंगे एवं इन कार्यो में तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ भी संबंधित नगर निकायों द्वारा की जायेगी। योजना का प्रथम चरण में सम्भाग मुख्यालय के नगर निगम एवं नगर परिषदों पर लागू की गयी थी। निकायों में योजना की सफलता को देखते हुए इस वर्ष से राज्य के समस्त 183 नगर निकायों में योजना लागू की जा रही है। योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में 4 करोड़ रूपये व्यय किये जाने का प्रावधान रखा था। जिसमें से 2 करोड़ राज्य सरकार एवं शेष दो करोड़ रूपये जन-सहयोग एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से व्यय किये गये।

योजना के अर्न्तगत वर्ष 2005-06 में 20 करोड़ रूपये राज्यांश के रूप में व्यय किये जायेंगे जबकि शेष 20 करोड़ की राशि जनसहयोग व नगर निकाय मिलायेंगे। इस प्रकार योजना पर इस वर्ष कुल 40 करोड़ रूपये व्यय किये जायेंगे।

परम्परागत जल स्त्रोत जीर्णोद्धार योजना

बावड़ियों का जीर्णोद्धार

प्राचीन समय में जयपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर जल आपूर्ति के लिए बावड़ियों एवं कुंओं का निर्माण करवाया गया था। आजादी के पश्चात् जल आपूर्ति के आधुनिक साधन उपलब्ध होने पर शहर में स्थित ऐतिहासिक परम्परागत जल स्त्रोतों कुएं, बावड़ियों की उपेक्षा होने लगी। जिसके फलस्वरूप ये क्षतिग्रस्त होने लगे। विगत वर्षो में प्रदेश में पड़े भीषण अकाल के कारण इन परम्परागत जल स्त्रोतों की पुनःआवश्यकता महसूस की जा रही है। जयपुर नगर निगम प्रशासन ने पहल कर शहरवासियों को राहत पहुंचाने के लिए शहर में परम्परागत जल स्त्रोतों का सर्वे करवाया तथा इन ऐतिहासिक जल स्त्रोतों के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। इस दौरान प्राप्त सर्वे में से 31 बावड़ियों के जीर्णोद्धार की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई तथा योजना को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति प्रदान की गई। प्रथम चरण में राज्य

28 CITIES SELECTED FOR HERITAGE CONSERVATION

Ajmer, Alwar, Banswara, Bharatpur, Bikaner, Bundi, Chittorgarh, Chomu, Dingh, Dungarpur, Fatehpur, Jaisalmer, Jodhpur, Kota, Mandawa, Navalgarh, Pushkar, Udaipur, Jhalawar, Jhunjhunu, Chabda, Churu, Ratangarh, Pilibanga, Kama and Khetri

परम्परागत जल स्त्रोत जीर्णोद्धार योजना

सरकार द्वारा 19 बावड़ियों के जीर्णोद्धार की स्वीकृति जारी की गई। इस पर 100 करोड़ रूपये व्यय होने की संभावना जताई गई। योजना के तहत जिन 19 बावड़ियों के जीर्णोद्धार का कार्य हाथ में लिया गया है। जो इस प्रकार हैं :

कनक वृन्दावन, आमेर रोड	यज्ञशाला की बावड़ी
आमागढ़ बावड़ी	कालका मंदिर, झालाना
कल्याण जी की बावड़ी, गूर्जर घाटी	छ्दीन बावड़ी, जयसिंहपुरा खोर
धाभाई बावड़ी गोविन्द नगर	परसरामद्वारा
विजय बाग, आमेर	पुरोहितों की बावड़ी, आगरा रोड़
सराय बावड़ी, आमेर	काला हनुमान बावड़ी
नाकू बावड़ी, मेंहदी का बास	ढाढर बावड़ी
आत्रेय स्कूल बावड़ी, गुर्जर घाटी	छीला बावड़ी
शांतिनाथ खोहवाली बावड़ी	गलता में हनुमान बावड़ी

निगम की इस योजना में जयपुर शहर के विधायकों द्वारा अपने विधायक कोटे से भी राशि प्रदान कर सहयोग दिया गया है। जिससे तीन ऐतिहासिक बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया गया है :

सराय बावड़ी जीणोद्धार सहभागिता का एक प्रयास :

सराय बावड़ी आमेर में सराय बावड़ी ग्राम के समीप है। यह बावड़ी जयपुर की प्रमुख बावड़ीयों में से एक है। इसका नाम ही इसका परिचय है जिससे यह ज्ञात होता है कि यह सराय के पास स्थित होगी। यह सराय संभवतः पहली बार सम्राट अकबर के जयपुर (आमेर) आगमन पर तैयार की गई थी। सराय से पूर्व की ओर लगभग 500 मीटर की दूरी पर बावड़ी स्थित है। सराय बावड़ी के नाम पर ही ग्राम का नाम सराय बावड़ी ग्राम है। यह नेशनल हाईवे बाईपास के समीप है। यहाँ से सराय होते हुए पुराना जैन मंदिर होते हुए आमेर को जोडनेवाली सड़क भी पूर्व से ही इसकी ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि को उजागर करती है।

वर्तमान स्थिति (नवम्बर 2004)

नवम्बर 2004 में बावड़ी का निरीक्षण किया गया तब इसकी स्थिति बहुत खराब थी। चारो ओर कंटीली झाड़ियों थी ओर समस्त क्षेत्र सार्वजनिक खुला शौचालय के रूप में लिया जा रहा था। पानी में अत्याधिक मात्रा मे काई थी और बदबू से यहाँ अधिक समय रुकना मुश्किल था।

कोकाकोला कंपनी की ओर से जीणोद्धार का 100 प्रतिशत खर्च वहन करने के प्रस्ताव को देखते हुए जयपुर नगर निगम द्वारा तुरंत स्वीकृति जारी कर दी गयी। बावड़ी के निरीक्षण के पश्चात् इसके जीर्णोद्धार का कार्य प्रारम्भ किया गया। सर्वप्रथम साफ सफाई करने तथा पानी कुछ निकालने पर ही बावड़ी की सीढ़ियाँ बारादरी आदि दिखाई देने लगी। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व बावड़ी के मध्य स्थित बारादरी पानी में पूर्व रूपये डूबी हुई थी। बावडी के दक्षिण की ओर की एक छतरीनुमा छोटी बारादरी निकली है। एक अन्य छतरीनुमा बारादरी क्षतिग्रस्त अवस्था में प्राप्त हुई।

बावड़ी की बाहरी दीवारों का भी कुछ हिस्सा आसार समेत

LIST OF IMPORTANT WORKS OF HERITAGE CONSERVATION

1. Renovation and Conservation of Gaota Gata, Ajmari Gate and Sanganeri Gate and Surroundings, Jaipur.
2. Renovation and Conservation of Chandpol Gate and New Gate and Surroundings, Jaipur
3. Renovation and Conservation of Panna Mina Ka Kund Amber, Jaipur
4. Renovation and Conservation of Kundlab Gate and Lake edges, Kheri Gate, Varahi Gate, and Surroundings at Amber
5. Conservation of lake edges and revival of water bodies Sagar Lake I & II
6. Renovation and Conservation of Zorawer Singh Gate, Surajpot Gate, Ghati Gate and Surroundings
7. Conservation of existing overhead LT network, street light, telephone network, T.V. Cable ctc., power distribution system along with service connections and street lighting within walled city Jaipur

परम्परागत जल स्त्रोत जीर्णोद्धार योजना

बावड़ी की खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ। बावड़ी से कुछ और पानी कम होने पर ज्ञात हुआ कि बावड़ी के मध्य स्थित जल कुण्ड में जाने का बड़ा दरवाजा भी किसी समय मलबा जाने से रोकने के लिए बंद किया हुआ है। मध्य में स्थित बारादरी की दीवारें भी बंद की गई है। बावड़ी में अत्याधिक मात्रा में कीचड तथा मलबा भरा हुआ था। बाहरी हिस्से में लगभग 15-20 फीट उंचाई तक 65-70 फीट चौड़ाई में भरा हुआ था। इसके अलावा अंदर के मुख्य द्वार में भी 2-10 फीट उंचाई तक मलबा भरा हुआ था। मलबा निकालने के लिए कोई रास्ता भी नही था अतः विंच मशीनों से मजदूरों को उतार कर मलबा हटवाया गया इस कार्य में दो माह से अधिक समय लगा इस दौरान इसका पानी बाहर पानी निकाला गया जो कि आसपास के खेतों में उपयोग में लिया गया। अब बावडी में लगातार मीठा पानी आ रहा है।

जीर्णोद्धार के दौरान बारावरी की पट्टियाँ टूटी हुई पायी गयी। उन्हें बदला गया है। यहां एक छोटी छतरी जो कि दक्षिण पश्चिम साईड में की थी उसे ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया गया एवं इसके सामने की छतरी की मरम्मत की गई है। बावड़ी के अंत में जो कुआं स्थित है वह लगभग 14 फीट व्यास का पक्का बना कुआ है इसमें पानी निकालने के लिए ढाणा विद्यमान है। बावड़ी के बाहर की दीवारो में पूर्व मे आसार नहीं था अतः इनके ढ़हने की पूर्ण संभावना थी अतः मिट्टी का दबाव वहन करने के लिए भूमि के नीचे आधारभूत संरचना तैयार की गई है जिससे साईड की दीवार मजबूत हो । अब बावड़ी का जीर्णोद्धार लगभग एक माह में पूर्ण हो जायेगा। बावड़ी के मूल स्वरूप को यथावत रखा गया है। जीर्णोद्धार करने में पानी कि निरंतर आवश्यकता सबसे बड़ी बाधा थी।

चार माह तक पानी निकालने के बाद भी पानी की आवश्यकता जारी है एवं ऐसे पानी के स्त्रोतों का जीर्णोद्धार राजस्थान जैसे मरूप्रदेश के लिए कितना महत्वपूर्ण है यह बताने की आवश्यकता नही है। इस बावड़ी के पानी को फिल्टर तथा ट्रीटमेंट करके गांव में पब्लिक स्टैंड पोस्ट द्वारा सफाई करने के लिये जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग आगे आये तथा अब तक किये गये प्रयासों को सार्थक बनाये। जन सहभागिता कार्य क्रम के तहत इस प्रकार के जनसामान्य के हित के कार्य लिये जा सकते हैं। कोकाकोला की वितीय सहायता एवं उनके अधिकारियों द्वारा किये गये श्रम न केवल सराहनीय हैं। बल्कि अनुकरणीय हैं।

सीकर : रेगिस्तान का प्रवेश द्वार

संक्षिप्त परिचय

सीकर राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र का महत्वपूर्ण शहर है। सीकर को रावराजा शिवसिंह द्वारा 1724 ए.डी. में बसाया गया था। ऐतिहासिक काल में व्यापारिक केन्द्र के रूप में विकसित हुआ। सीकर को पश्चिमी भारत के रेगिस्तान का प्रदेश द्वार कहा जाता है। सीकर राजस्थान की राजधानी जयपुर से 118 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 11 सीकर के मध्य से गुजरता है। यह शहर राजस्थान के कुछ उन शहरों की गणना में आता है जो सुनियोजित ढंग से बसे हुए हैं। शहर के मध्य में राजघराने के महल है एवं इसके चारों ओर परकोटा है जिसके सात दरवाजे हैं। शहर के विस्तार के साथ पुरातन बसावट को नयी आकृति मिली ।

भौगोलिक स्थिति

सीकर शहर 437 मीटर ऊंचाई पर एवं 27-32 एन और 75-16 ई लोगीयूड पर स्थित है। इसका जलवायु अत्याधिक शुष्क है।

हवामान

सीकर में गर्मियां अत्याधिक गर्म होती हैं। अधिकतम गर्मी औसत 40 डिग्री सैन्टीग्रेड एवं सर्दियों सामान्यतः ठण्ड न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेन्टीग्रेड रहता है। औसत वर्षा 44 से. मी. होती है। औसत आद्रता 79 प्रतिशत वर्षाकाल में रहती है।

क्षेत्रीय स्थिति

2680 एकड़ क्षेत्रफल सीकर शहर की सीमा में आता है।

प्रमुख उद्योग एवं संस्थाएं

शहर में ग्रेनाईट, गलीचा, बंधेज एवं हाऊस होस्ट उ़द्योग प्रचलित हैं। इस हेतु रीको के औधोगिक क्षेत्र में लगभग 200 विभिन्न उद्योग हैं।

शहर की जानकारी

सीकर शहर में पुरामहत्व की हवेलियां व राजप्रसाद हैं। प्राचीन शिल्प व वास्तुविदों द्वारा प्रसिद्ध हवेलियां जिनपर भितिचित्र अंकित हैं। दर्शनीय हैं। दो प्राचीन पार्क एवं तालाब मारू पार्क व

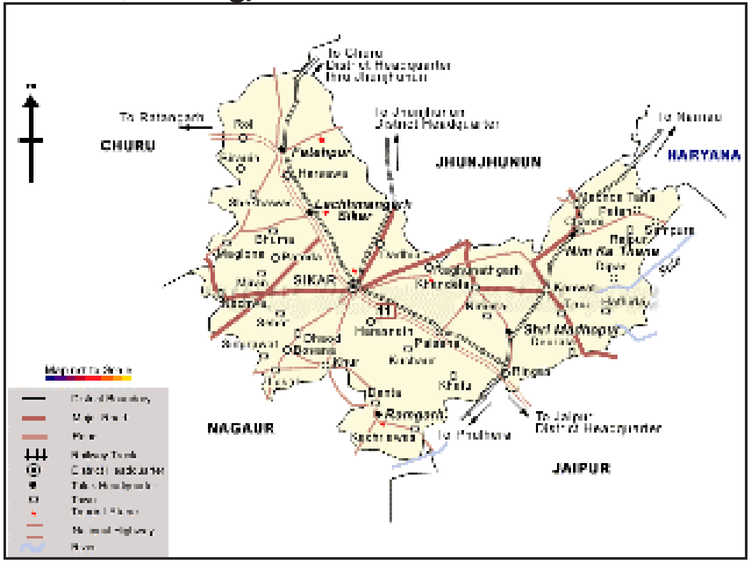

नेहरू पार्क ऐतिहासिक महत्व के हैं। शहर से 13 कि.मी की दूरी पर 3000 फुट की ऊँचाई पर पहाड़ी पर प्राचीन शिवालय हर्षनाथ का मन्दिर है जिसका ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व है जहां पुरातत्व विभाग का एक अजायबघर है।

नगरीय प्रशासन

नगरपालिका नगरीय प्रशासन की मुख्य इकाई है। जिसके अध्यक्ष का चयन लोकतान्त्रिक पद्धति से अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता रहा है। पूर्व में यहां नगरपालिका थी शहर के स्वरूप व जनसंख्या में वृद्धि के साथ यहां नगर परिषद का निर्माण हुआ। वर्तमान में 45 वार्ड हैं । यहाँ वार्ड पार्षदों के प्रत्यक्ष मतदान से चुनाव होते हैं। तत्पश्चात उन द्वारा अपने सभापति का चुनाव होता है। विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए पार्षदों की पृथक पृथक यथा भू नियमन, वित्तीय व सफाई की कमेटियाँ गठित होती हैं। सभापति के पश्चात कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में आयुक्त होते हैं जिनकी सहायता के लिए सचिव, स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक अभियन्ता, उधान अधीक्षक होते हैं।

शहरी विकास के लिए उठाये गये कदम

शहरी विकास के लिए मास्टर टाऊन प्लान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है। शहर के लिए हाल ही में सीवरेज योजना 66.00 करोड की स्वीकृत हुई है जिसकी क्रियान्विती शीध्र होने जा रही है। इसी तरह से हाउसिंग बोर्ड की भी दो कॉलोनियां निर्मित हुई हैं। परिषद द्वारा भी वृहद आवासीय कॉलोनियां निर्मित हुई हैं। जलप्रदाय योजनायें भी शहर में प्रस्तावित हैं।

शहरी विकास के लिए बजट 2005-06

राज्य में शहरी विकास कि द्रुत गति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इस वर्ष 2005-06 में बजट में कुछ नए प्रस्ताव शहरों के विकास के लिये किये गये हैं ।

- राज्य सरकार शहरी आधारभूत विकास के लिए और कार्य रखवाये जा रहे हैं। इस वर्ष इस परियोजना के अर्न्तगत 405 करोड़ रूपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के द्वितीय चरण में 75 हजार से अधिक आबादी वाले 39 शहरों धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से शहरी आधारभूत विकास की दृष्टि से विकसित करने के प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये गये हैं। इस परियोजना में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संस्थाओं के संरक्षण के कार्यो के साथ-साथ प्रथम चरण में शामिल किये गये शहरों के शेष कार्यों से सम्मिलित किया गया है।

- राज्य के स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुधारने की दृष्टि से राजस्थान इन्फ्रास्ट्रक्चर फाईनेंस एण्ड डवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया है।

- राज्य में केन्द्र सरकार के सहयोग से पूर्व में नौ शहरों में चलायी जा रही अम्बेडकर वाल्मिकी योजना का विस्तार करके इस योजना की समस्त 183 नगर पालिका क्षेत्रों में लागू किये जाने के प्रस्ताव इस बजट में किये गये हैं।

- राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना के अंतर्गत विभिन्न शहरों में आधारभूत विकास हेतु आगामी वर्ष इस परियोजना के अंतर्गत 405 करोड़ रूपयों का व्यय किया जाना हैं।

- राजस्थान इन्फ्रास्ट्रक्चर फाईनेंस एण्ड डवलपमेंट कॉरपोरेशन (RUIFDCO) का गठन किया जा चुका है। राज्य सरकार इस कॉरपोरेशन में 5 करोड़ रूपये का निवेश करेगी।

- कच्ची बस्तियों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता बढाने हेतु आगामी वर्ष में 30 करोड़ रूपये व्यय किये जायेंगे। राज्य के 9 शहरों मे कच्ची बस्तियों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले निवासियों को भवन निर्माण हेतु चल रही योजना का विस्तार कर इसे राज्य के सभी 183 नगरपालिका क्षेत्रों में लागू किया गया है।

- नागरिकों के सहयोग से शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों के उद्देश्य से शहरी जनसहभागी योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु इस वर्ष में 20 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

- विरासत संरक्षण एवं विकास की दृष्टि से राज्य में प्रमुख 28 शहरों में विभिन्न कार्य करवाने के लिए 10 करोड़ रूपये का प्रावधान इस वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है।

- इस योजना के द्वितीय चरण 75 हजार से अधिक आबादी वाले धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण 39 शहरों को शामिल करते हुए राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना के द्वितीय चरण हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाने गये हैं।

- ठोस कचरा प्रबन्ध से संबंधित विभिन्न कार्यो हेतु इस वर्ष 10 करोड़ रूपये का प्रावधान है । राज्य के 11 शहरों में बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की दृष्टि से संयंत्र स्थापित किये जा रहे है। राज्य के सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों को इन संयंत्रों से जोड़ा जायेगा ताकि संक्रमित कचरे का वैज्ञानिक ढंग से सुरक्षित निस्तारण किया जा सके।

जयपुर में बनेगी सबसे चौड़ी रिंग रोड साढ़े आठ अरब की लागत से बनेगी 18 लेन की सड़क

जयपुर के चारों ओर 18 लेन की 300 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी। देश की सबसे चौड़ी इस रिंग रोड़ सड़क बनेगी। देश की सबसे चौड़ी इस रिंग रोड़ पर 8.50 अरब रूपये खर्च होने का अनुमान है। जयपुर विकास प्राधिकरण की उच्चसमिति की बैठक में रिंग रोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। बैठक में तय किया गया कि यह निर्माण बिल्ट ऑपरेट एण्ड् ट्रान्सफर के आधार पर कराया जायेगा। साथ ही रोड़ के दोनों ओर 90-90 मीटर की भू-पट्टी बेचकर भी धन जुटाया जायेगा। इसके दोनों ओर आवासीय, व्यावसयिक तथा संस्थानिक उपयोग के लिए जमीन अरक्षित होगी।

नगरीय विकास राज्य मंत्री श्री प्रताव सिंह सिंघवी ने बताया कि रिंग रोड़ सौ साल बाद की स्थितियों को देखने हुए शहर के मध्य करीब 20 किलोमीटर दूर तथा अधिक चौड़ी बनायी जायेगी। इसका सर्वे का कार्य अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी। इस प्रोजेक्ट में आठ हजार बीघा जमीन अवाप्त होगी। श्री सिंघवी ने बताया कि वर्ष 1997 में बना रिंग रोड़ का प्लान इससे छोटा था। इसमें पहले चरण का निर्माण तीन साल में पूर्व कर लिया जायेगा। खाते दारों को मुआवजे के लिए अवाप्त जमीन के बदले 15 फीसदी विकसित भूमि देने का प्रावधान रखा जायेगा।

जमीन के मुआवजे के रूप में 4.50 अरब रूपए देने पड़ेगे। पहले चरण में अजमेर रोड पर पिंक पर्ल वाटर पार्क के पास से रामचंद्रपुरा बांध, बीलवा, शिवदासपुरा, गोनेर, बगराना, आगरा रोड होते हुए कूकस के पास नेशनल हाईवे तक 72 किलोमीटर लंबी रोड़ का निर्माण कराया जाएगा। इससे अजमेर रोड़, टोंक रोड़ आगरा रोड़ और दिल्ली रोड़ आपस में जुड़ जाएंगे। इसके बाद अगले चरण में अजमेर रोड़, सीकर रोड़ और दिल्ली रोड़ को आपस में जोड़ा जाएगा। लगभग 67 किलोमीटर लंबे इस हिस्से का काम दूसरे चरण में होगा। इसकी जरूरत अभी एक्सप्रेस हाइवे से पूरी हो रही है।

जेडीए आयुक्त डॉ. ललित के. पंवार ने बताया कि 24 फुट के मिडियन के दोनों ओर छह-छह लेन ट्रैफिक के लिए होगी। 80-80 फुट जगह भविष्य में चौड़ाई बढ़ाने के लिए रिजर्व रखी जाएगी। इससे तीन-तीन लेन और बढ़ सकेगी। इसके बाद 90-90 मीटर की पट्टी सड़क दोनों और मिश्रित उपयोग के लिए रखी जाएगी। सड़क का रखरखाव टोल टैक्स से होगा। जयपुर के चारों ओर 18 लेन की 300 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी। देश के सबसे चौड़ी इस रिंग रोड पर 8.50 अरब रूपए खर्च होने अनुमान है।

राज्य के 138 शहरी निकायों के वार्डो का पुनर्सीमांकन

राज्य के 138 नगर निकायों का आगामी चुनाव वार्डो का परिसीमांकन (पुनर्निधारण) के बाद होगा।

वार्डो के पुनर्निर्धारण के लिए राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी ने बताया कि 138 निकायों 2005-06 का चुनाव वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर वार्डो का गठन करने के बाद होगा। वार्डो के पुनर्निधारण के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।

138 शहरी निकायों में वार्डो के पुनर्सीमांकन के लिए समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वायत्त शासन सचिव की ओर से जिला कलेक्टारों को दिये निर्देशों में वार्डो के प्रस्ताव तैयार करवाने, वार्ड प्रस्तावों की जांच कार्य एवं उसके उपरान्त वार्डो का प्रकाशन राजपत्र में करवाने को कहा गया है। इस कार्य को समय बद्ध रूप से पूर्ण करने के लिए कार्यक्रम भी निर्धारित कर दिया गया है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वार्डो का गठन 7 मार्च से 18 मार्च तक किया जाएगा वार्ड गठन का प्रकाशन परिसीमन आपत्तियों पर सुनवाई तथा जिला कलक्टर द्वारा राज्य सरकार को अंतिम प्रारूप 19 मार्च से 2 अप्रेल तक भिजवाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार के स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा घोषित प्रारूप का अनुमोदन 3 अप्रेल से 11 अप्रेल तक किया जायेगा। राज्य सरकार से अनुमोदित प्रारूप के पश्चात वार्डो का आरक्षण तथा अंतिम प्रकाशन 12 अप्रेल से 20 अप्रेल तक होगा। इस कार्यक्रम में लगभग 46 दिन का समय लगेगा।

आदेशों के अनुसार प्रत्येक नगर पालिका के लिए निर्धारित सीटों के अनुरूप होंगे। नगर पालिका के वाड्र्स बनाते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी क्षेत्र किसी भी वार्ड से छूट न जाये। इसके अतिरिक्त वार्ड गठित करते समय यह भी निर्धारित कर लिया जाये कि एक ही मकान दो वार्डो में विभाजित न हो पाये। वार्ड निर्धारित करते समय यह ध्यान रखा जाये कि बडे शहरों में विधानसभा बाउण्डरी को न तोड़ा जाये तथा दो विधानसभा क्षेत्रों की बाउण्डरी का एक वार्ड न बनाया जाए।

वार्डो का संख्यांकन करते समय नगर पालिका के उत्तरी पश्चिमी कोने से एन्टीक्लॉक वाईज करते हुए चक्रीय क्रम से लिया जाये।

जैविक चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण

बायो मैडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु निगम द्वारा "BOOT" पद्धति पर एक निजी संस्था द्वारा Common Treatment Facility खोडी रूपाड़ी कानोता में स्थापित कर प्रारम्भ करवा दिया गया है। सम्पूर्ण राजस्थान में इस तरह का अकेला संयंत्र है। मृत जानवरों को त्वरित गति से हटवाने एवं वैज्ञानिक रूप से उनका निस्तारण करने हेतु नगर निगम द्वारा कारकस संयंत्र रामगढ़ रोड़ पर निर्मित करवाया जा चुका है तथा इसका संचालन निजी फर्म द्वारा किया जा रहा है।

आज समूचे विश्व में जहाँ जैव–चिकित्सा अपशिष्ट के सम्पूर्ण निस्तारण पर अनेकों शोध किये जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर देश में इनके उपर अभी तक ज्यादा संतोषजनक परिणाम सामने नहीं आ सके हैं। इसका मूल कारण जन–चेतना की कमी का होना है। किन्तु अब कुछ शहरों ने इस ओर प्रयास करने प्रारम्भ कर दिये हैं। इनमें जयपुर भी एक है, जहाँ राजस्थान का सबसे पहला तथा अत्याधुनिक जैविक चिकित्सा अपशिष्ट शोधित संयंत्र जयपुर नगर निगम द्वारा स्थापित किया गया है जिस पर लगभग 3.00 करोड़ रूपए व्यय हुए हैं। जयपुर नगर निगम द्वारा इस प्रोजेक्ट का ठेका 'बूट' बेसिस पर दिल्ली की मैसर्स इंस्ट्रोमेडिक्स (ई.) प्रा. लि. को दिया गया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल द्वारा फेसिलिटी को कई कोण से परखने के पश्चात् प्रमाण–पत्र भी दे दिया गया है। कम्पनी ने 15 जनवरी 2002 से लेकर अब तक बिना किसी अवरोध के अपने सभी रजिस्टर्ड अस्पतालों, क्लिनिकों एवं डायग्नोस्टिक सेन्टरों से प्रतिदिन उनके द्वारा जनित बायो मेडिकल वेस्ट को अपने स्पेशल फैब्रिकेटेड कलैक्शन वैन द्वारा उठा कर सम्पूर्ण सेग्रिगेटेड कचरों को सेग्रिगेटेड चैम्बरों में रख कर प्लांट पर ले जाते हैं जहां उनको कैटेगरी के मुताबिक इंसिनरेट, माइक्रोवेव, कैमिकल डिस्इन्फैक्शन इत्यादि किया जाता है ताकि उन संक्रमित कचरों से पर्यावरण तथा आम जन जीवन को कोई भी नुकसान न पहुंच सके। यहां विभिन्न कचरा उपचार प्रक्रिया के उपरान्त निकलने वाले दूषित जल को कैमिकल बायोलोजिकल विधि द्वारा साफ एवं शुद्ध कर धुलाई एवं पौधों की सिंचाई के उपयोग में लाया जाता है।

जयपुर शहर के लगभग 394 गैर सरकारी तथा 18 सरकारी चिकित्सक संस्थाओं के यहां से निकलने वाले लगभग 3 टन संक्रमित कचरे को वैज्ञानिक विधि द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। शोधित कचरे को बनाये गये सिक्योरड लैण्ड फिलिंग में भेज दिया जाता है। इन समस्त कार्यों को सही रूप से आंकलित करते हुए प्रदूषण विभाग में जमा कराया जाता है। इस विषय में और शोध किये जा रहे हैं जिससे आगे आने वाले समय में कचरे का उचित उपयोग किया जा सके।

जयपुर में इस कार्य के लिये लगभग 6100 बिस्तर से प्रति दिन 3.08 रूपए प्रति बिस्तर के हिसाब से भुगतान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त पड़ोस के अन्य शहरों से भी संक्रमित कचरे को लाकर उसका निस्तारण यहां किया जा रहा है। जिससे पड़ोसी शहरों में भी उक्त कानून की पालना को सुनिश्चित किया जा रहा है। यह एक खुशनुमा पर्यावरण शहरों में भी उक्त कानून की पालना को सुनिश्चित किया जा रहा है। इस प्रकार एक खुशनुमा पर्यावरण की परिकल्पना को साकार रूप प्रदान करने में जयपुर नगर निगम तथा राज्य प्रदूषण मण्डल का बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है।

जयपुर आज भारत के उन 5–6 शहरों में से एक माना जाने लगा है जहां इस प्रकार की शुरूआत कर राज्य सरकार,

कचरा बनेगा कंचन

कचरे से बिजली, खाद अथवा ईधन बनाने के लिए राज्य के 16 शहरों में संयंत्र लगाए जाएंगे। ये संयंत्र राज्य सरकार की 'कचरे से कंचन' बनाने की योजना के तहत लगेगें। इसके लिए राज्य सरकार एक रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से 30 साल की लीज पर जमीन उपलब्ध करवाएगी।

स्वायत्तशासन राज्य मंत्री प्रतापसिंह सिंघवी ने बताया कि संयंत्र बिल्ड–ऑपरेट–ट्रांसफर (बीओटी) पद्धति पर लगाए जाएंगे। संयंत्र लगाने के लिए पहले चरण में अलवर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, गंगापुर सिटी, हनुमानगढ़, झुंझुनू, किशनगढ़, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, टोंक और ब्यावर चयन किया गया है। संयंत्र लगाने के इच्छुक अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे।

शहरी निकायों के राज्य स्तरीय बैठक सम्पन्न

राज्य के शहरी निकायों के माध्यम से चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की राज्य स्तरीय बैठक 27.04.05 को स्थानीय हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में सम्पन्न हुई।

राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता स्वायत्त शासन राज्यमंत्री श्री प्रताप सिंह सिंघवी ने की। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव, श्री बी0 पी0 आर्य, स्वायत्त शासन सचिव, डॉ0 मनजीत सिंह; नगर निगमों/परिषदों/पालिकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

इस बैठक में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का सजीव प्रदर्शन किया गया। जिसमें योजनाओं को आधुनिक ढंग से किस प्रकार नगर निकायों मे लागू किया जाये इस बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी गयी।

सभी शहरों को एक कार्य योजना बनाने के प्रस्ताव रखे गये जिसमें प्रत्येक शहर में 100 कचरा पात्र, 5 सार्वजनिक शौचालय एवं बडे शहरों में बस स्टॉप बनाने तथा छोटे शहरों में आवश्यकतानुरूप वहां बस स्टॉप बनाने के लिये एक कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये गये।

प्रत्येक नगर पालिका में हेल्प लाईन सेन्टर, वेब साईट एवं कम से कम एक कम्प्यूटर लगाने के निर्देश भी प्रदान किये गये। नगर पालिकाओं को एक आवासीय योजना का प्रारूप अगले तीन माह में प्रस्तुत करना होगा।

बैठक में यह निर्देश भी दिये गये कि शहरों की सफाई व्यवस्था के लिये डेयरियों को शहरी सीमा से बाहर स्थापित करना होगा। शहरों में दिन में दो बार कचरा उठाना एवं कचरे से खाद एवं बिजली बनाने की योजनाओं को मूर्तरूप देना होगा। सडको के किनारों पर कचरा एकत्रित न होने देना भी इसमें शामिल है।

श्री ललित हुड्डा, समन्वयक, सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन, राजस्थान द्वारा वर्ष 2005–06 की वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत की गई एवं सभी सदस्यों से सदस्यता शुल्क जमा करवाने का भी अनुरोध किया गया ।

बैठक में विभाग द्वारा जारी नागरिक अधिकार पत्र का भी विमोचन किया गया।

City Manager's Association Rajasthan

Action plan for the year 2005-06

The 6th executive committee meeting held on 15.04.05 and the following action plan has been approved

The following decisions have been taken

1. The best practices documentation shall be done. Best Practice awards shall be started. The citation Trophy and cash award shall be given to the Local bodies for the best practices initiated in the respective ULB's. The cash award of Rs. 1,00,000/- as first prize, Rs. 75,000/- as second prize and Rs. 50,000/- as third prize shall be given in the form of assets as per the desire of the ULB.
2. Best practice visits shall be organized in the month of May-June 2005 in Ahmedabad and Bangalore/ Chennai. The preparation of Urban Indicators performance measurement (UIPM) may be conducted through out the state and initially 7ULB's shall be picked up namely Byawar, Pali, Bhilwada, Sikar, Tonk, Sriganganagar, and Bharatpur.
3. Documentation of Solid Waste Management success stories shall be published for the cities of Jaipur, Beawar and Makrana.
4. Website designing shall be done within next one month. Workshop on different subjects shall be organized in different cities as per the list below:

Workshop on	Place	Month
Solid waste management	Udaipur	May, 05
Model Municipal Act	Jaipur	June, 05
Solid Waste Management	Jodhpur	July, 05
Urban ndicators and performance Measurement Programme (UIPM)	Kota	Aug, 05
Jan Sahabhagita	Bikaner	Sept, 05
Heritage Conservation of the cities of the Rajasthan	Jaipur	Oct, 05

5. Computer Training cell of CMAR shall be started which shall give training to municipal officers and employees of urban local Bodies.
6. The directory of members shall be published.

For Information

Mr. K. R. Meena has replaced Mr. K. S. Chauhan as Treasurer of CMAR

Mr. Lalit Kumar Hooda has joined as new Coordinator Rajasthan Operations of CMAR

The office of the city nmanagers association has shifted to R. No. 316 Jaipur Municipal Corporation Tonk Road Jaipur w.e.f. 4.3.05

You can send CMAR information about the good works done in your city in any of the areas listed below:

S.No. Project Category

I Infrastructure Services
- Water Harvesting
- Solid Waste Management
- Public hygiene, Sanitation and toilets
- Sewage and Drainage
- Lighting of Roads, Fabric Areas
- Parks, Gardens, Playgrounds etc.
- Markets, Shopping Complexes etc.
- Building Regulations
- Fire Services

II Financial Management
- Expenditure Control
- Property Taxation
- Double Entry Accounting System
- Advertising, Parking, License
- Innovative Financing & Revenue sources

III Social
- Slum Improvement
- Poverty Alleviation
- Woman Empowerment
- Veterinary Services/Animal Management
- Public Awareness/Citizen's Participation

IV Public Private Partnership
- Innovative Contractual Agreements
- Contracts on BOO, BOT, BOOT basis
- Involvement of NGOs in various activities

V Others
- Reforms in Governance
- Computerization/E-governance
- Decentralisation of Administration
- Gardening and Plantation
- Tourism Development, Heritage, Culture
- Disaster Mitigation/Management
- Rehabiliation and Reconstruction

Activities of the CMAR

Best Practice Documentation Drive

Maximum of the cities in India are facing similar kind of problems, similar issues to deal with. Some of the city managers had innovative idea Documentation of such kind of success stories can be helpful to other cities by replicating the success stories. CMAR is initiating the Best Practice documentation drive in Rajasthan. It will be excellent opportunity for the interstate best practice transfer. A national level Best practice symposium is proposed by ICMA-india in October 2003. Thus it can be preferred that the cities of Rajasthan should make a point to document there story, innovations so that they can take an active and impressive participation in this symposium.

Documentation of Solid Waste Manageement in Rajasthan

The solid waste management is one of the key activities of the Urban Local Bodies not only in Rajasthan but in other parts of the country. The outburst of plague in Surat has indicated towards unscientific handling of solid waste generated in the cities. Keeping in view the above the attempt shall be made to find out the practices carried out in the cities of Rajasthan.

Urban Indicators Performance Program (UIPM)

Urban local bodies are working in there best possible way to create suitable and better living environment. But the information crisis and lack of systematic evaluation of problems is impeding the capacities of the ULBs

Existing tools for the urban policy are largely inadequate in providing overall picture of the city and how city works.

An immense need is felt for the development of few standards, which will derive the picture of the city and how it works. Such measures could be in the form of Urban Indicators, which are variables or functions of several variables that measures particular real world phenomena. Indicators assist in analyzing trends and impacts of policies.

UIPM aims to tackle issues in urban governance, in the ULBs of Rajasthan specifically in core infrastructure and municipal finance for achieving better understanding and control over it.

UIPM sets objectives as follows:

- To provide the urban local bodies with an analytical tool for self assessment this would also make them transparent and accountable.
- To identify the critical areas and access the severity of the problems.
- To aid civic bodies to prioritize actions
- Provide a tool for decision making to various stakeholders in Urban Development

Office bearers of CMAR

Chief Patron
Mr. Pratap Singh Singvi
Hon' State Minister, Local Self Government

Patrons
Ms. Usha Sharma
Secretary, Urban Development and Housing
Mr. Manjeet Singh
Secretary, Local Self Government
Mr. Lalit K. Panwar
Commissioner JDA

Co- Patrons
Mr. Ashok Parnami
Hon' Mayor of Jaipur
Ms Om Kumari Gehlot
Hon' Mayor Jodhpur
Mr. Mohan Mahavar
Hon' Mayor Kota

President
Mr. Bhaskar A. Sawant,
Chief Executive Officer,
Jaipur Municipal Corporation,

Executive President
Mr. Shiv Kumar Sharma
Director,
Directorate of Local Bodies (DLB)

Vice Presidents
Mr. R.P.Gupta, CEO, Kota
Mr. Jagdish Purohit, CEO, Jodhpur
Mr. Ramnath Chahil, Commissioner, Ajmer
Mr. Vijay Singh Nahta, Commissioner, Bikaner
Mr. Suresh Chand Vyas, Commissioner, Udaipur

Secretary
Mr. Rajendra Singhal
Commissioner
Jaipur Municipal Corporation

Treasurer
Mr. K R Meena
Chief Accounts Officer
Directorate of Local Bodies (DLB)

Secretariat
Lalit Kumar Hooda
Urban Planner
Coordinator Rajasthan State Operations

What you must do to support CMAR

- ❑ Pay your / institutional dues
- ❑ Encourage individual membership within your institution.
- ❑ Join fully in CMAR activities
- ❑ Be a upbeat member- organize activities at your institution.
- ❑ Donate generously & save taxes
- ❑ Keep in mind! CMAR is your institution

Partners of CMAR
Government of Rajasthan, USAID, USAEP, ICMA, FIRE Project......
You can be part of this team. Join CMAR as a partner to strenghthen CMAR for promoting excellence in City Management.

List of Useful web sites for
information on Urban Concerns

www.adb.org
www.cmag-india.org
www.hudco.org
www.niua.org
www.unchs.org
www.urbanindia.nic.in
www.bestpractices.org
www.citiesalliance.org
www.worldbank.org

Ms. Renu Juneja
Public Relations Officer
Directorate of Local Bodies, Jaipur

For membership details write or contact to:

Lalit Kumar Hooda,
Coordinator,

City Managers' Association Rajasthan

316, Jaipur Nagar Nigam, Lal Kothi
Tonk Road, Jaipur
Telefax +91- 141- 2744069
Email: cma_rajasthan@rediffmail.com

Registered under: the Rajasthan Societies Registration Act, 1958, Reg no. 569/ Jaipur/ 2002-03, Dt. 24/08/2002.

This newsletter is for the internal circulation only.